


न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा
विविध/APP/2/2016

भूक बनाम गोपाल जी स्नान देह

वकील- श्री विनोदराव

दिनांक	कार्यवाही विवरण	की गई कार्यव इन्वीसीयि
6.9.16	<p>प्रार्थना पत्र मियाद के बिन्दु को विचारणीय रखते हुये दर्ज रजिस्टर करे । वकील अपीलार्थी उपस्थित । प्रत्यर्थी के सम्मन जारी करे । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब करे । पत्रावली दिनांक 2.11.16 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: right;"> भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा</p>	
2.11.16	<p>पीअसीन अधिकारी का पद रिक्त है । लिक अधिकारी जी का मुख्यालय अजमेर होने से पत्रावली दिनांक 16.12.16 को वापस लेता है।</p>	
16.12.16	<p>पीअसीन अधिकारी का पद रिक्त है । लिक अधिकारी जी का मुख्यालय अजमेर होने से पत्रावली दिनांक 3.2.17 को वापस लेता है।</p>	
3.2.17	<p>पीअसीन अधिकारी का पद रिक्त है । लिक अधिकारी जी का मुख्यालय अजमेर होने से पत्रावली दिनांक 23.3.17 को वापस लेता है।</p>	
23.3.17	<p>पत्रावली पेश हुई । वकील अपीलार्थी उपस्थित । प्रत्यर्थी के नोटिस आउम ताकील प्राप्त हुए है । पुनः पेश करने पर आवी बचै । पत्रावली नोटिस इंतजारी दिनांक 25.5.17 को पेश हो।</p>	
25.5.17	<p>पत्रावली पेश हुई । वकील अपीलार्थी उपस्थित । वकील अपीलार्थी ने एक पाठपत्र अथ सम्मन के पेश किया । सम्मन जारी करे । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब करे । पत्रावली दिनांक 13.7.17 को पेश हो।</p>	

13.7.17

पत्रावली पेश हुई इमसपत्र उपस्थित/ अतीनस्थ आयालय की पत्रावली तलब करे/ पत्रावली दि. 23.8.17 को पेश हो। तामील

23.8.17

पत्रावली पेश हुई/ वकील अजीलाफ उपस्थित/ अधि. न्यायालय की पत्रावली तलब करे। 20. सा. के अन्य राज्य कार्य में व्यस्त रहने से पत्रावली नोटिस/ वेबसाई इंतजामी में दिनांक 4.10.17 को पेश हो। तामील

4.10.17

पीठासीन अधिकारी के ~~अन्य/अन्य~~ अन्य राज्य कार्य पर होने से पत्रावली दिनांक 29.11.17 को वास्ते तामील पेश हो।

तामील
रीडर

29.11.17

पीठासीन अधिकारी के ~~अन्य/अन्य~~ अन्य राज्य कार्य पर होने से पत्रावली दिनांक 16.1.18 को वास्ते तामील पेश हो।

तामील
रीडर

16.1.18

पीठासीन अधिकारी के ~~अन्य/अन्य~~ अन्य राज्य कार्य पर होने से पत्रावली दिनांक 28.3.18 को वास्ते तामील पेश हो।

तामील
रीडर

28.3.18

मिला अभिभाषक संस्था मीलकाप द्वारा कार्य हमगित रखे जाने से पत्रावली नोटिस इंतजामी में दिनांक 7.6.18 को पेश हो। तामील

7.6.18

पीठासीन अधिकारी के ~~अन्य/अन्य~~ अन्य राज्य कार्य पर होने से पत्रावली दिनांक 8.8.18 को वास्ते तामील पेश हो।

तामील
रीडर

8.8.18

पीठासीन अधिकारी के अन्य राज्य कार्य में व्यस्त रहने से पत्रावली दिनांक 24.9.18 को वास्ते तामील पेश हो।

तामील
रीडर

24.9.18

पीठासीन अधिकारी के अन्य राज्य कार्य में व्यस्त रहने से पत्रावली दिनांक 15.11.18 को वास्ते तामील पेश हो।

तामील

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही / मय इनिशियल्स सत्र	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तारीख में जारी हुए
5-11-18	पीठासीन अधिकारी के अन्य राज्यकार्य में व्यस्त रहने से पत्रावली दिनांक 4-1-19 को वास्ते जवाब बहस पेश हो। प्रत्यर्पण का सम्मन तामील होकर प्राप्त हो चुका है। रिडर	
4-1-19	पत्रावली पेश हुई। प्रत्यर्पण का सम्मन तामील होकर प्राप्त हो चुका है। पत्रावली वास्ते जवाब बहस दि. 6-2-19 को पेश हो। रिडर	
6-2-19	पीठासीन अधिकारी के भ्रमण/अवकाश पर होने से पत्रावली दिनांक 8-3-19 को वास्ते जवाब बहस पेश हो। रिडर	
8-3-19	पीठासीन अधिकारी के भ्रमण/अवकाश पर होने से पत्रावली दिनांक 22-4-19 को वास्ते जवाब बहस पेश हो। रिडर	
22-4-19	पीठासीन अधिकारी के अन्य राज्यकार्य में व्यस्त रहने से पत्रावली दिनांक 24-6-19 को वास्ते जवाब बहस पेश हो। रिडर	
24-6-19	पीठासीन अधिकारी के अन्य राज्यकार्य में व्यस्त रहने से पत्रावली दिनांक 5-8-19 को वास्ते जवाब बहस पेश हो। रिडर	
5-8-19	पीठासीन अधिकारी के भ्रमण/अवकाश पर होने से पत्रावली दिनांक 16-9-19 को वास्ते जवाब बहस पेश हो। रिडर	
16-9-19	पीठासीन अधिकारी के अन्य राज्यकार्य में व्यस्त रहने से पत्रावली दिनांक 11-10-19 को वास्ते जवाब बहस पेश हो। रिडर	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही / मय इनिशियल्स सत्र	नम्बर अहक हुकम व ज
4-10-19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी/उपग पक्षों का बहस सुनने के अन्तर्गत पत्रावली वास्ते बहस दि. 8-11-19 को पेश हो।</p> <p>(हेमन्तरवरूप माथुर) भू.-प्रबन्ध अधिकारी एवं फदेन राजस्व अपली प्राधिकारी भीलवाड़ा</p>	
8-11-19	<p>पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने से पत्रावली दिनांक 13-12-19 को वास्ते बहस पेश हो।</p>	
13-12-19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी/उपग पत्रावली वास्ते बहस दि. 30-12-19 को पेश हो।</p>	
30-12-19	<p>जिला अधिकारी का कार्य दिनांक 30-12-19 को पीठासीन अधिकारी</p>	
9-1-20	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी/उपग बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते अदेश दिनांक 16-1-20 को पेश हो।</p>	
16-1-20	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी/उपग की बहस सुनी गई। बहस में वकील पक्षों ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील सं. 16/99 को अपीलार्थी मय अधिवक्ता केन्द्रायालय में उपस्थित नहीं होने से दिनांक 24/1/99 को अदम हाजरी व अदम पेशी में लाजिज बट दी गई। जिसकी जानकारी</p>	

आज्ञा - पत्र
(नियम-26)

न्यायालय भ-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

श्री अंक

बनाम

श्री गोपालजी प्यान देह

मुकदमा

APP

संख्या

02

सन

2016

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही/मय इनिशियल्स सत्र	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तारीख में जारी हुए
	<p>अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण को वकील साह से सम्पर्क करने पर दि० 30-8-16 को हुई जानकारी होते ही दफ्ता इन्कविरे कानूननियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपील सं० 16/99 को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार फलमाया जावे।</p> <p>पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं इसमें अंकित तथ्यों का अध्ययन किया। प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल में दि० 15/12/98 को निर्णित होकर विभागाध्यक्ष किया जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के न्यायालय में दिनांक 17/3/99 को दफ्तर सूचना के लिए न्यायालय स्तर से वादीगण/अपीलार्थीगण को दिनांक 21-5-99 के सूचना पत्र जारी किए। उक्त सूचना पत्र वादीगण/अपीलार्थीगण को व्यक्तिगत तामील होना पत्रावली में संलग्न नोटिस। सूचना पत्र से सिद्ध होता है। बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने पर न्यायालय द्वारा अपील सं० 16/99 को दिनांक 24/7/99 को अदम हाजरी व अदम पंजी में रजिस्ट्रार की गई। प्रार्थनापत्र में यह अंकित किया कि उन्हें वकील साह से सम्पर्क करने पर जानकारी दि० 30/8/16 को हुई परन्तु यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि वर्ष 99</p>	

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही / मय इनिशियल्स सत्र

नया
अहकाम
हुकम को
जारी

में वारिज हुए प्रकार के सम्बन्ध में 15 वर्ष बाद
किस कारण से सम्पर्क किया ऐसा कोई ठोस
कारण या जानकारी होने के सम्बन्ध में उचित
कारण अंकित नहीं किया है। अर्थात् अधिवक्ता के
पास प्रार्थीगण किस कारण से जानकारी काने
आए अथवा अधिवक्ता ने भी प्रार्थना पत्र में कोई
कानूनी बिन्दु अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति
में 16 वर्ष पश्चात अदम हाजरी व अदम पौखी में
वारिज किए प्रकार को पुनः म्बर पालेने का
कोई उचित कारण बताने में असफल रहे हैं।
अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वारिज किया
जाता है। आदेश लिखा जाकर सुनाया गया।
पत्रावली प्यसल कुमार होकर म्बर लेने में है।

(कैलाश चन्द्र लखार)
दू-परम अधिकारी एवं पदेन
राजस-कानून मंत्रालय, श्रीलालपुर